न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 47 / 2023

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
घेवरपुरी पुत्र तेजपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी बुड़ीवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा पंचायत समिति बालोतरा, जिला बालोतरा 2. पदमपुरी पुत्र तेजपुरी जाति गोस्वामी, निवासी बुड़ीवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 12 दिनांक 17.07.2017 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश पूनड, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.04.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम बुड़ीवाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 17.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 03.01.2022 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत बुड़ीवाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम बुड़ीवाड़ा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 12 दिनांक 17.07.2017 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत समदडी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दौराने बहस कथन किया है कि निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पैतृक एवं सयुंक्त हक हिस्से का परिसर बुड़ीवाडा गांव की मुख्य आबादी भूमि के खसरा नं 478 किस्म गैर मुमकिन आबादी में आया हुआ है, जिसका विधिवत रूप से आज दिन तक निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य बंटवारा नहीं हो पाया है एवं उक्त भूमि आज भी दोनो भाईयों की शामिलाती है। प्रार्थी के भाई पदमपुरी अधिक भूमि हड़प करने के दुराशय से छिपे तौर पर पुराने गृहों के विनियमितीकरण के तहत पट्टा दिनांक 17.07.2017 को प्राप्त कर उप पंजयीयक जसोल मे दिनांक 12.09.2017 को पंजीबद्ध करवाया है, जो पट्टा गलत एवं नियम विरूद्ध होने के साथ ही पारिवारिक संपति का बिना बंटवारा करावाये जारी किया गया है। आलौच्य उक्त भूमि पुरानी पैतृक व पुश्तैनी है, जिसमें निगरानीकर्ता व अप्रार्थी संख्या 2 का अलग अलग जगह मकान बना हुआ है। मकानों की भूमि छोड़ने के बाद दोनों परिसरों के मध्य समाधि का स्थान है, जिसमें निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी के पूर्वज परिवारजनों को समाधियां दे रखी है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 एवं निगरानीकर्ता का बराबर–बराबर कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर निगरानीकर्ता के पुराने एवं पैतृक कब्जे को अनदेखा कर मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के मौखिक कथनों को ही सर्वथा सत्य मानकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में एकल रूप से आलौच्य पट्टा जारी किया है, जो नियम विरूद्ध है, इसलिये आलोच्य पटटा निरस्त करने योग्य है।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1) राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है जबकि उक्त प्रावधानों के अनुसार 50 वर्ष पुरानी आबादी भूमि पर कब्जे के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने चाहिये, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 की वर्तमान उम्र 57 वर्ष है। ऐसी स्थिति में एकल रूप से 50 साल पुराना कब्जा संयुक्त परिवार की भूमि में होना संभव नहीं है, साथ ही आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई हेतु कोई सूचना नहीं दी थी। जबकि निगरानीकर्ता वादग्रस्त परिसर में अप्रार्थी संख्या 2 के बराबर हक व अधिकारी रखता है। आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व विप्रार्थी संख्या 2 ने मौखिक कथनों के अलावा एकल रूप से पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र मौखिक शपथ–पत्र, जो विधिवत

जिला कलक्टर
बालोतरा

रूप से निष्पादित नहीं है एवं उस शपथ पत्र में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के साख या गवाही एवं कोई हस्ताक्षर भी नहीं है, साथ ही पट्टा प्रपत्र में पट्टा शुल्क जमा करवाने का कोई न तो हवाला दिया गया है और न ही किसी भी गवाह के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त आलोच्य पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

6. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 12 दिनांक 17.07.2017 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा